बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

।। आदेश ।।

पटना–15 दिनांक– 17/07/2012

संख्या–वन्य प्राणी विविध–19/11 389 (ई) **/प0व0,** इस कार्यालय के पत्रांक–1694 दिनांक–04.06.2012 द्वारा संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में **वन्यप्राणी दत्तक ग्रहण योजना** की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस क्रम में निर्णय लिया गया है कि वन्यप्राणी दत्तक ग्रहण योजना के लिए प्राप्त राशि पृथक राष्ट्रीयकृत बैंक में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम से खाता खोलकर रखना है एवं उस राशि का लेखा–जोखा वन लेखा संहिता के अनुरूप संधारित किया जाना है। संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को सोसाईटी के रूप में गठन होने के पश्चात उक्त बैंक खाते का संचालन सोसाईटी के द्वारा किया जायेगा।

2. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(ललन राय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–वन्यप्राणी विविध–19/11 389 (ई) **/प0व0, पटना–15 दिनांक–** 17/7/12

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार,पटना/निदेशक, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

माननीय उपमुख्य (पर्यावरण एवं वन) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

आई0 टी0 मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग को भेजते हुए अनुरोध है कि आदेश की प्रति को अविलंब विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

17/7/12
(ललन राय)
सरकार के संयुक्त सचिव।